



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की विशेष बैठक दिनांक 12.12.2018 का कार्यवृत्त

समय: 02:00 बजे

स्थान: माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1. प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति | — | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० जय गोपाल, प्रति-कुलपति | — | सदस्य |
| 3. डॉ० भोला चौरसिया | — | सदस्य |
| 4. डॉ० अजीत कुमार चौधरी | — | सदस्य |
| 5. डॉ० जे० एन० मिश्र | — | सदस्य |
| 6. डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता | — | सदस्य |
| 7. डॉ० हिमांशु शेखर | — | सदस्य |
| 8. डॉ० अमर कुमार | — | सदस्य |
| 9. डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह | — | सदस्य |
| 10. डॉ० इस्मत जहाँ | — | सदस्य |
| 11. डॉ० फैयाज अहमद | — | सदस्य |
| 12. डॉ० विनोद कुमार चौधरी | — | सदस्य |
| 13. श्री संजय सरावगी | — | सदस्य |
| 14. मो० ए० हक | — | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 15. श्री विनोद कुमार | — | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 16. कर्नल निशीथ कुमार राय | — | सचिव |

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की शुरुआत हुई।

मद सं० 1.
निर्णय:

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.12.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।
अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.12.2018 के कार्यवृत्त को संपुष्टि करने के क्रम में नगर विधायक श्री संजय सरावगी द्वारा पुस्तकालय ऑटोमेशन एवं अभियंत्रणा शाखा के कार्य का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में नहीं दिये जाने संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर कुछ सुझाव दिये गये। यथा— पुस्तकालय ऑटोमेशन के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिवेदन में RFP Document का आंकलन अलग से अन्य स्रोतों से भी कराये जाने की बात कही गयी है तो उन आपत्तियों को बिहार IT department के पास भेज कर उसका आंकलन कराया जाय। तदनुसार, सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में बनी समिति के बाह्य सदस्यों से आपत्तियों का आंकलन कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा विश्वविद्यालय अभियंत्रणा शाखा के कार्य को प्रमुख समाचार पत्रों में नहीं दिये जाने संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण विवरणी के साथ पुनः उन्हें भेजने पर सहमति बनी।

अभिषद् की बैठक दिनांक 01.12.2018 के अ० मद सं० 08 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विभागीय सलाहकार समिति की 85वीं बैठक के मद संख्या - VII पर हुए निर्णय को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया कि इस विषय पर पूर्व में ही श्री संजय सरावगी, श्री फैयाज अहमद एवं श्री लक्ष्मेश्वर राय की एक समिति बनी हुई है, इस समिति के प्रतिवेदन के बाद ही इस विषय पर विचार किया जायेगा। इस संशोधन के साथ अन्य सभी अनुमोदित मदों को सम्पुष्टि किया गया।

32125
12.12.18

12/12

अभिषद की बैठक दिनांक 01.12.2018 के मद सं0 05 के निर्णय पर विचारोपरान्त तथा निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकेतर कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति को अभिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया — को निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकेतर कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति संबंधित पत्र को सदन ने संज्ञान में लिया तथा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की, इस संशोधन के साथ अन्य सभी मदों के अनुमोदन को संपुष्ट किया गया।

श्री सरावगी ने वित्त समिति एवं क्रय विक्रय समिति में आगे से पूर्व निर्धारित दर या पूर्व के स्वीकृत दर या व्यय की राशि को अनुमोदित किया गया — इत्यादि में उक्त राशि को दर्शाने का सुझाव दिया। जिसपर वित्त पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आगे से इस पर ध्यान दिया जायेगा। P.C.C. सड़क के बदले श्री सरावगी ने चारकोल/पिच सड़क का निर्माण करने का सुझाव दिया, जिस पर डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि चूंकि मोती महल के सामने water logging की समस्या अक्सर बनी रहती है, इसलिए P.C.C. सड़क ही बनना चाहिए और नरगौना में पिच/चारकोल से सड़क बनवाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन द्वारा पारित किया गया। श्री सरावगी ने अमृत योजना से संबंधित कार्य को जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया।

मद सं0 2
निर्णय: अभिषद की बैठक दिनांक 01.12.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन पर विचार।
अभिषद की बैठक दिनांक 01.12.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन—प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखा गया तथा सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

मद सं0 3.
निर्णय: वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट पर विचार।
विमर्शोपरान्त, वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं 4.
निर्णय: वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.12.2018 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.12.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
कुलसचिव ने माननीय विधायक श्री सरावगी जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने आगामी अधिषद की बैठक के लिए बैग खरीदारी में काफी मदद की।

मद सं0 5.
निर्णय: अधिषद की बैठक दिनांक 21.12.2018 हेतु सदस्यों द्वारा पुछे गये प्रश्नों के प्रश्नोत्तर पर विचार।
अधिषद की बैठक दिनांक 21.12.2018 हेतु सदस्यों द्वारा पुछे गये प्रश्नों के प्रश्नोत्तर पर विचार—विमर्श किया गया। सर्वप्रथम श्री सरावगी ने यह प्रस्ताव दिया कि पिछले बैठक का कार्यवृत्त जल्द—से—जल्द सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाय। डॉ0 फैयाज अहमद ने Millat Teacher's Training College के संदर्भ में न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में उसे संशोधित करने का आग्रह किया, जिस पर सहमति बनी की विश्वविद्यालय यह प्रस्ताव अधिषद के समक्ष रखेगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार Millat Teacher's Training College को स्थायी संबंधन मिल चुकी है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तथा निर्णयानुसार अग्रेत्तर कारवाई की जायेगी। डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने प्रस्ताव दिया कि डॉ0 फैयाज अहमद अधिषद के बैठक में कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो सकेंगे, तथा उनके नाम पर अंकित प्रश्नों को डॉ0 इश्मत जहाँ तथा डॉ0 महेश प्रसाद सिंह के नाम आवंटन किया जाय। डॉ0 अजीत कुमार चौधरी ने सदन को सूचित किया कि कुछ प्रश्नों का उत्तर जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, अतः उन प्रश्नों के उत्तर में संशोधन की अनुमति सदन से माँगी गई। तदनुसार, सर्वसम्मति से उक्त संशोधन हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

मद सं0 6.
अतिरिक्त यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)।

अतिरिक्त मद सं0 1. To consider the recommendation made in the meeting of the "Compassionate ground of deceased employees" held on 03-12-2018 for approval of the Syndicate.

निर्णय: डॉ0 विनोद चौधरी ने समिति के प्रस्ताव में Only those wards of deceased employees shall be considered for appointment on Compassionate ground who died on

22/12/18

or after 16.07.2013 (date of last meeting of the above said committee) में उपर्युक्त तिथि को संशोधित करने का आग्रह किया जिस पर सहमति बनी की मृत्यु के पाँच वर्ष के अभ्यन्तर जिनका भी आवेदन आ चुका है, सिर्फ उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जायेगा। उक्त संशोधन के साथ समिति के अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 2.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 26.08.2004 को दिये गये न्याय निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्रांक— 14/मु0 13-643/2013-56 दिनांक 21.01.214 के आलोक में एच0पी0एस0 कॉलेज, मधेपुर के चार प्रयोगशाला प्रभारी के अन्तर्लीनीकरण के संदर्भ में अभिषद् की धटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाय।

निर्णय:

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 26.08.2004 को दिये गये न्याय निर्णय एवं राज्य सरकार के पत्रांक— 14/मु0 13-643/2013-56 दिनांक 21.01.214 के आलोक में एच0पी0एस0 कॉलेज, मधेपुर के चार प्रयोगशाला प्रभारी के अन्तर्लीनीकरण के संदर्भ में अभिषद् ने धटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।

अतिरिक्त मद सं0 3.

अतिथि शिक्षकों के पदस्थापन एवं प्रधानाचार्य, प्रयोग प्रदर्शक तथा चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 01.12.2018 की बैठक में किये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

1. सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों के पदस्थापन हेतु समिति के अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया।
2. प्रधानाचार्य के प्रोन्नति के संबंध में निर्णय लिया गया कि जो भी इस विश्वविद्यालय के शिक्षक है और वे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है, उन्हें प्रोन्नति दिया जा सकता है, दुसरे विश्वविद्यालय से आये प्रधानाचार्य चूँकी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं है, अतः उनका प्रोन्नति उनके Parent University से होना चाहिए।

3. प्रयोग प्रदर्शक के प्रोन्नति के मामले में समिति के अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।

4. चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति के संदर्भ में समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया गया कि तत्काल केवल उन्हीं शिक्षकों के प्रोन्नति की प्रक्रिया की जाए जो एस0बी0सिन्हा कमीशन से आच्छादित नहीं है तथा जिनकी सेवा का नियमितिकरण एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में हो चुकी है।

एस0बी0सिन्हा से आच्छादित शिक्षकों के प्रोन्नति की प्रक्रिया राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही की जाए क्योंकि पूर्व में राज्य सरकार के पत्र से रोक लगी हुई है।

एस0सी0अग्रवाल कमीशन के आलोक में समायोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि (1) जिन शिक्षकों का प्रोमोशन हेतु जो Refree Report एक बार Screening अथवा Selection Committee में रखा जा चुका है, परन्तु उनके प्रोन्नति की अनुशंसा Screening/Selection Committee में नहीं हुई है, वैसे शिक्षकों को अपने प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र में पुनः आवेदन करना होगा। (2) जिन शिक्षकों का Refree Report, Screening /Selection Committee में नहीं रखा गया है, उन शिक्षकों को प्राप्त Refree Report के आधार पर प्रोन्नति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाए। (3) कालबद्ध प्रोन्नति हेतु सभी शिक्षकों को पुनः आवेदन करना होगा।

समिति की अनुशंसा के बिन्दु 6(b) एवं (c) के आलोक में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाय।

बाँकी बचे हुए शिक्षकों के लिए प्रस्ताव पुनः अभिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

अतिरिक्त मद सं0 4.

To consider the recommendation made in the meeting of the "Approval, Seniority and Pay Fixation Committee" held on 29.11.2018 at 11:30 A.M. for approval of the Syndicate.

निर्णय:

विचारोपरान्त, "अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति" की बैठक दिनांक 29.11.2018 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से संपूष्ट किया गया।

अन्यान्य मद सं0 1.

कुलसचिव महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय वेबसाईट चलाने वाले कम्पनी का समय सीमा पूरा हो रहा है। अतः इस संबंध में माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपना मतव्य दें कि इसी कम्पनी को चालू रखा जाय या नया कम्पनी का चयन किया जाय, जिसपर माननीय सदस्यों ने वर्तमान में जो कम्पनी कार्य कर रही है, उसी को चालू रखने का प्रस्ताव पारित किया। दूसरा, Air Force द्वारा Aircraft का एक प्रारूप विश्वविद्यालय में लगाने हेतु प्रस्ताव आया है, अतः इस हेतु स्थल का चयन किया जाना है तथा NOC देना है,

जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अम्बेदकर पार्क में इसे लगाने हेतु NOC दिया जाय।

अन्यान्य मद सं0 2.

माननीय विधायक श्री संजय सरावगी ने सदन को सूचित किया कि इस बार महाविद्यालयों में मात्र 12.5% वोट पड़ना विश्वविद्यालय के लिए चिन्ता का विषय है। इसका मतलब है कि छात्र महाविद्यालय नहीं जाते हैं। उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को कार्य करना चाहिए, कि छात्रों की उपस्थिति कैसे बढ़े? इस पर सेमिनार/डिबेट (Debate) या कुछ इस तरह का कार्यक्रम विश्वविद्यालय को करना चाहिए, जिससे महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़े। शिक्षकों की कमी का भी निवारण हो चुका है, अब छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय को कदम उठाना चाहिए।

अन्यान्य मद सं0 3.

डॉ0 इश्मत जहाँ ने श्री सरोज कुमार चौधरी तथा इन्द्र नाथ झा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति पर सवाल उठाया कि अभिषद् से पास होने के बाद भी इन दोनों का प्रोन्नति अब तक क्यों नहीं हो सका ? डॉ0 विनोद कुमार चौधरी ने समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको एक से ज्यादा बार प्रोन्नति मिली है, पर जिनको एक भी प्रोन्नति नहीं मिली उनके लिए विश्वविद्यालय क्या कर रहा है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सदन को शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति में आ रही कठिनाईयों को सदन के समक्ष रखा तथा उन्होंने कहा कि छः माह पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा तो नहीं हो सकेगा परन्तु साल में 1 बार जरूर होनी चाहिए। इस पर श्री सरावगी ने प्रस्ताव दिया कि श्री सरोज चौधरी एवं इनके जैसे अन्य के मामले को अभिषद् के बैठक में पूर्ण विवरण के साथ अगले बैठक में उपस्थापित किया जाय।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव महोदय ने माननीय सदस्यों से अपना बहुमूल्य समय तथा सहयोग हेतु आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त, बैठक समाप्त हुई।

ह0/-
(निशीथ कुमार राय)
कुलसचिव-सह-सचिव

ह0/-
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ज्ञापांक:- LB-477/18

दिनांक:- 12-12-2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

 12/12/18

कुलसचिव

22/12/18